1

संख्याः 2590/38-7-2008-351एनआरईजीए/2008 प ्रेषकः
रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प ्रदेष षासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/
मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 दिनांकः 31 अक्टूबर, 2008

विषय-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत शहतूत प्रजाति के रोपण व रेशम उत्पादन हेतु रेशम परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में ।
महोदय
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं दिशा निर्देश के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा शहतूत प्रजाति के रोपण व रेशम उत्पादन हेतु रेशम परियोजना क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका वित्त पोषण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से किया जायेगा।
2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना की रूपरेखा एवं क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों के दिशा निर्देश निम्नवत् होंगेः-
1. योजना का नाम:
इस योजना को ‘‘रेशम उत्पादन’’ परियोजना के नाम से क्रियान्वित किया जायेगा।
2. योजना का स्वरूप और उद्देश्य:
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्यो में वृक्षारोपण गतिविधि तथा चिन्हित वर्ग के लाभार्थी परिवारों की निजी भूमि पर उद्यानीकरण विकास को सम्मिलित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य
में अन्य प्रजातियों के वृक्षों के अतिरिक्त शहतूत प्रजाति का वृक्षारोपण

2

बहुउद्देशीय गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। शहतूत का वृक्षारोपण सिंचाई आधारित अथवा वर्षा आधारित दोनों प्रकार से किया जा सकता है।
श् ाहतूत उद्यानिकी प्रजाति का एक ऐसा वृक्ष है जिसे उपजाउ भूमि के
अतिरिक्त परती भूमि पर सफलता पूर्वक लगाकर उद्यान विकसित कर लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं।
श् ाहतूत की पत्तियां तोड़कर इन पत्तियों पर कीटपालन कर रेशम उत्पादन भी
किया जा सकता है। शहतूत की पत्तियों से रेशम उत्पादन एक नगद फसल है। सिंचाई आधारित वृक्षारोपण से वर्ष में 5 फसलें तथा वर्षा आधारित वृक्षारोपण से वर्ष में 3 फसलें प्राप्त की जा सकती है। रेशम कोया का औसत बाजार मूल्य लगभग रू. 80-90 प्रति किलोग्राम है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में रेशम उत्पादन ग्रामीणों के लिए आजीविका का बेहतर साधन हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहतूत का वृक्षारोपण तथा इससे रेशम उत्पादन की गतिविधियों से स्वयंसहायता समूहों (विशेषकर संसाधनहीन महिलाओं के) को भी संबंद्ध किया जा सकता है।
श् ाहतूत के वृक्षों के विकसित होने पर द्वितीयक गतिविधि के रूप में रेशम
उत्पादन का कार्य अन्य योजनाओं से संयोजन (प्दजमहतंजम) कर अथवा लाभार्थी/स्वयंसहायता समूह द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जा सकता है।
श् ाहतूत वृक्षारोपण व रेशम उत्पादन से ग्रामीण परिवार की आय में वृद्धि होगी
तथा इसका पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। शहतूत वृक्षारोपण व कालांतर में रेशम उत्पादन की गतिविधि निम्न दो स्वरूपों में ली जा सकती हैः
1. स्वयंसहायता समूह गठित कर इनके माध्यम से शासकीय भूमि व सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण तथा द्वितीयक गतिविधि के रूप में रेशम उत्पादन।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग, गरीबी की रेखा के नीचे वाले परिवार, भूमि सुधार (स्ंदक तमवितउ) के लाभार्थी इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी परिवारों द्वारा धारित निजी भूमि पर वृक्षारोपण कर उद्यान विकास तथा

3

ए ेसे लाभार्थियों के उपयोगकर्ता दल गठित कर द्वितीयक गतिविधि के
रूप में रेशम उत्पादन।

3. नरेगा के प्राविधानों से आच्छादन:
श् ाहतूत/अर्जुन क्रमशः उद्यानिकी तथा वानिकी प्रजाति के पौधे हंै। अतः राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना की मार्गनिर्देशिका (यथा संशोधित वर्ष 2000)
के प्रस्तर-6.1.1(4) के अनुरूप वर्णित श्रेणी के पात्र व्यक्तियों की निजी भूमि/क्षेत्र का भी चयन शहतूत वृक्षारोपण हेतु किया जा सकता है तथा सामुदायिक/वन विभाग की भूमि पर भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से
इस गतिविधि को किया जा सकता है।

4. योजना के लाभार्थी:
राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना की मार्गनिर्देशिका (यथा संशोधित वर्ष 2000) के प्रस्तर-6.1.1(4) के अनुरूप वर्णित श्रेणी के पात्र व्यक्तियों की निजी भूमि/क्षेत्र का भी चयन शहतूत वृक्षारोपण हेतु किया जा सकता है।
ऽ अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के परिवार
ऽ गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार
ऽ भूमि सुधार (स्ंदक तमवितउ) के लाभार्थी
ऽ इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी
सामुदायिक भूमि एवं वन विभाग की भूमि पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम
से भी इस कार्य को वानिकी मद में कराया जा सकता है।

5. लाभार्थी के चयन की प्रक्रिया:
निजी भूमि पर शहतूत के वृक्षारोपण हेतु लाभार्थियों की पात्रता, पात्र लाभार्थियों के चयन तथा पौध रोपण हेतु विभाग द्वारा जारी उद्यानीकरण संबंधी शासनादेश के प्रावधान यथावत लागू होंगे।

6. कार्य योजना/प्रोजेक्ट बनाने व स्वीकृती की प्रक्रिया:
श् ाहतूत/अर्जुन वृक्षारोपण की तैयार की गई कार्य योजना का अनुमोदन ग्राम पंचायत अपनी बैठक में करेगी। तत्पश्चात् इसका अनुमोदन क्षेत्र एवं जिला

4

पंचायत से कराया जावेगा। f़त्र-स्तरीय पंचायत से अनुमोदित शहतूत वृक्षारोपण की कार्य योजना को ही ‘‘शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट’’ में शामिल किया जाएगा।

निजी भूमि पर सिंचाई आधारित शहतूत वृक्षारोपण के प्रकरणों में ऐसे लाभार्थी जिनके पास सिंचाई स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, कार्य योजना के साथ साथ सिंचाई समृद्धि/खेत तालाब के प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदित व स्वीकृत कार्य भी ‘‘शेल्फ आफ प्रोजेक्ट’’ में
श् ाामिल किया जायेगा।

श् ाहतूत वृक्षारोपण के कार्यों की प्रशासकीय, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-उत्तर प्रदेश के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप जारी की जायेगी।यदि चयनित क्षेत्र
श् ाासकीय/पंचायत/सामुदायिक भूमि है तो चयनित क्षेत्र के क्षेत्रफल के
आधार पर रोपित किये जा सकने वाले पौधों की संख्या का आकलन कर प्राक्कलन तैयार कर शहतूत वृक्षारोपण की कार्य योजना ग्राम पंचायत के द्वारा तैयार की जायेगी। यदि प्रस्तावित वृक्षारोपण सिंचाई आधारित है तो चयनित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई स्रोतों जैसे कुआं/लघु तालाब/स्टाप डेम की लागत का प्रावधान भी कार्य योजना में किया जायेगा।
उक्त कार्य योजना के प्राक्कलन में पौध रोपण की तैयारी, पौधरोपण तथा रख रखाव पर होने वाले व्यय का समावेश किया जायेगा। यदि वृक्षारोपण हेतु नर्सरी भी विकसित की जानी है तो तद्नुरूप होने वाले व्यय का समावेश भी प्राक्कलन में किया जायेगा। शहतूत वृक्षारोपण हेतु सामान्य निर्देश संलग्नक - 1 पर है। यह इकाई लागत पूर्णतः सांकेतिक है। अतः स्थानीय परिस्थितियों व दर के अनुरूप प्राक्कलन तैयार कराए जाएंगे।

5

प्राक्कलन और कार्य योजना को तैयार कराने में स्थानीय रेशम अधिकारी अथवा वन विभाग के अधिकारी का सहयोग लिया जाये। कार्य का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।
श् ाहतूत वृक्षारोपण (वर्षा आधारित तथा सिंचाई आधारित) की इकाई लागत
संलग्नक - 2 पर दिया गया है। शहतूत वृक्षारोपण के कार्यों के क्रियान्वयन
में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखों का रख-रखाव एवं अन्य अभिलेखों के रख-रखाव
के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उत्तर प्रदेश के तहत
समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे।

7. फण्ड फ्लो का विवरण:
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी कार्यकारी निर्देश-2008 के पैरा 8.3.2 के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का स्थानांतरण जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम पंचायतों को किया जायेगा।
ग्राम पंचायतें स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष लाभार्थी के खेतों पर कार्य कराएगी। लाभार्थी परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं भी मजदूरी की जा सकती
है। योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान
बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खुले खाते के माध्यम से किया जायेगा।
8. सामग्री की व्यवस्था:
श् ाहतूत वृक्षारोपण के लिए श्रेष्ठ एवं उत्तम किस्म की पौध उपलब्ध कराने का
दायित्व ग्राम पंचायत एवं रेशम विभाग का होगा। ग्राम पंचायत स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर शहतूत के पौधों की नर्सरी भी विकसित कर सकती है। नर्सरी विकास के संबंध में आवश्यक विवरण संलग्नक- 3 पर दिया गया है।

श् ाहतूत वृक्षारोपण हेतु रोपित किये जाने वाले पौधों की आवश्यकता का
ऑंकलन करना अत्यन्त आवश्यक है। यह ऑंकलन ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के आधार पर किया जायेगा। चूंकि वृक्षारोपण के उपरांत कुछ

6

पौधे जीवित नहीं रह पाते हैं, अतः 20ः से 30ः अतिरिक्त पौधों का प्रबंध रखा जाना उचित होगा। शहतूत के तैयार वृक्षों से पत्ती की उपलब्धता के आधार पर रेशम का कीटपालन किया जाता है। इस हेतु रेशम के कीड़े को कृमिपालन भवन में रखकर शहतूत की पत्तियां खिलाई जाती हैं। एक मादा तितली से प्राप्त होने वाले अण्डों को पालने के लिए लगभग 08-10 किलोग्राम पत्ती की आवश्यकता होती है, जिससे 500 ग्राम रेशम बनता है। रेशम पालन के लिये उचित वातायन का कृमिपालन भवन, वांछित उपकरण तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

9. तकनीकी पर्यवेक्षण:
परियोजना का तकनीकी पर्यवेक्षण तथा लिंकेजेस उपलब्ध कराने के लिये रेशम विभाग के अधिकारी व्यक्तिगत लाभार्थियों तथा स्वसहायता समूहों की मदद करेंगे। प्रशिक्षण का कार्य स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से किया
जा सकता है।

10. रिपोर्टिंग व अनुश्रवण की व्यवस्था:
उक्त परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य विकास अधिकारी
जनपद स्तर पर उत्तरदायी होंगे। मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) द्वारा कम से कम परियोजना के 10 प्रतिशत कार्यों का
स्थलीय निरीक्षण कराया जायगा।
कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने विकासखण्ड के कार्यों की शत-प्रतिशत निरीक्षण व अनुश्रवण कराया जायगा। उपरोक्तानुसार विभिन्न स्तरों पर की गई मॉनिटरिंग के निष्कर्षों के अभिलेख संबंधित स्तर पर अनिवार्यतः रखे जायेंगे। रेशम परियोजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी संलग्नक - 4 में दर्शाये गये प्रपत्र में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आयुक्त ग्राम्य विकास को प्रेषित की जायेगी।
11. लाभार्थी के दायित्व व अधिकार:

7

लाभार्थी क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण कर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेगा। ऐसे लाभार्थी जो कार्य करने हेतु इच्छुक हैं,
वे स्वयं के द्वारा धारित भूमि पर स्वयं भी कार्य कर सकेंगे। पौधों के रख रखाव का दायित्व संबंधित लाभार्थी का होगा।

12. ग्राम पंचायत के दायित्व:
ग्राम पंचायत अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों का चयन करेगी। चयनित लाभार्थियों द्वारा वांछित कार्य की कार्य योजना तैयार कराएगी। तैयार कार्य योजना पर वांछित तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक, तकनीकी
ए वं वित्तीय स्वीकृति प्रदान/प्राप्त करेगी। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में निजी तथा सार्वजनिक भूमि पर योजना का क्रियान्वयन भी कराएंगी।
13. क्षेत्र पंचायत के दायित्व:
ग्राम पंचायतों से प्राप्त कार्य योजना को अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला पंचायतों अपने संस्तुति/मंतव्य सहित अग्रसारित करेगी।
14. संबंधित लाइन विभाग का दायित्व:
योजनांतर्गत रेशम विभाग तकनीकी मार्गदर्शन हेतु लाइन विभाग होगा। इनके द्वारा योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जायेगा।
कृपया उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
संलग्न: उपरोक्तानुसार।

संख्या–2590(1)/38–7–2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखिता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(12) प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश शासन।
(15) आयुक्त, ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश , लखनऊ।
(16) प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश।
(17) प्रमुख अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश ।
(18) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
(19) निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(20) निदेशक, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश ।
(21) निदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश ।
(22) निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश।
(23) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(24) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।

9

संलग्नक - 1
श् ाहतूत वृक्षारोपण की प्रक्रिया वर्षा आधारित पौधरोपण
1. भूमि का चयन
समतल भूमि शहतूत पौधरोपण के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है यदि यह ढालू
भी हो तो यह 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये, जिसमें प्रक्षेत्रीय मेड़ बंधान बनाई जा सके। चूंकि शहतूत गहरी जड़ का बहुवर्षीय पौधा है अतः मिट्टी की गहराई कम से कम 2 से 3 फीट होनी चाहिये। यह मिट्टी निकास
युक्त दोमट, बलुई दोमट, लाल मुरूमयुक्त दोमट हो सकती है। मिट्टी का पी.एच. सामान्यतः 6.5 से 7.00 तक उपयुक्त रहता है।
2. पौधरोपण सुरक्षा
श् ाहतूत की पत्तियों को जानवर चाव से खाते है, अतः इनकी सुरक्षा के लिये कटीले तारों की सुरक्षा/फैसिंग की जानी अत्यन्त आवश्यक है।
3. भूमि तैयारी
वर्षा आधारित पौधरोपण के लिये आवश्यक है कि भूमि की तैयारी पूर्ण तकनीक से की जाए ताकि वर्षा का अधिक से अधिक जल संरक्षण किया जा सके। गर्मी प्रारम्भ होने के पूर्व पूरे क्षेत्र में 30 से 35 सेन्टीमीटर गहरी जुताई
की जानी चाहिये तथा उसे ऐसे ही खुला छोड़ देना चाहिये ताकि गर्मियों में मृदाजनित हानि कारक कीटाणु व खरपतवार नष्ट हो जावें। मानसून प्रारम्भ होने पर दोबारा जुताई करनी चाहिये ताकि बड़े बड़े ढेले टूटकर समतल हो जावें। भूमि पर सुविधाजनक प्लाट के लिये मेढ़बन्दी भी कर ली जावे ताकि
वर्षा का जल अधिक से अधिक सुरक्षित रहे। एक एकड़ क्षेत्र में पौधरोपण हेतु 200 घनफीट गोबरखाद/कम्पोस्ट की आवश्यकता होगी।
4. प्रजाति का चयन
वर्षा आधारित पौधरोपण के लिये लाल मिट्टी हेतु एम-5, तथा एस-13 एवं काली मिट्टी हेतु एस-34 अनुशंसित है। पौधरोपण की सफलता के लिये कम
से कम 4 माह पुराने पौधे का पौधरोपण किया जाना चाहिये। स्थानीय

10

आवश्यकता के आधार पर स्वसहायता समूह, शहतूत की रोपणी/नर्सरी भी तैयार कर आजीविका सृजन कर सकते है।
5. पौधरोपण का तरीका
पौधों के बीच की दूरी 6श्ग6श् अन्तराल पर होना चाहिये। पौधरोपण 1.2श्ग1.2श्ग1.2श्
के गड्ढे खोदकर किया जाना चाहिये। एक एकड़ क्षेत्र में लगभग 1200 गड्ढे खोदे जा सकते है। प्रत्येक गड्ढों में 2 किलोग्राम गोबरखाद/कम्पोस्ट तथा
4 किलोग्राम जमीन की उपरी मिट्टी मिलाकर डालनी चाहिये। यदि मिट्टी में दीमक की संभावना हो तो लिण्डेन/नीमखली का भी उपयोग किया जा सकता है। पौधरोपण के समय 10ः10ः10 किलोग्राम प्रतिएकड़ की दर से नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटाश की मात्रा देनी चाहिए।
6. पौधों की प्रारम्भिक देखभालः
पौधरोपण वर्षा प्रारम्भ होने के बाद तुरन्त कर देना चाहिये ताकि लगभग दो
माह का वर्षाजल पौधे की बढ़त के लिये प्राप्त हो सके। बरसात के बाद यदि
ए क सिंचाई माह अक्टूबर में हो सके तो और भी उत्तम होगा यह सिंचाई
पास के जलस्त्रोत से पानी लाकर की जा सकती है। एक माह बाद निंदाई तथा हल्की गुड़ाई का कार्य किया जाना चाहिये। तीसरे महिने में दूसरी निंदाई तथा 10 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग किया जाना चाहिये। बारिश समाप्त होने के पश्चात पौधों के आसपास हल्की गुड़ाई कर मिट्टी का थाला
इस प्रकार बना देना चाहिये कि आगामी महिनों में होने वाली वर्षा से जल इनमे एकत्रित हो सके। पौधों को सीधा बढ़ने के लिये शाखाओं की आवश्यक छंटाई भी करनी चाहिये।
7. दूसरे वर्ष से पौधों की देखभाल
दूसरे वर्ष से पौधों को मानसून सीजन में कम से कम दो बार मानक अनुसार रासायनिक खाद देनी चाहिये। मानसून प्रारम्भ होने पर 200 घनफीट खाद अनिवार्यतः पौधों को दी जावे। वर्ष में 4 बार निराई व गुड़ाई की जावे। यदि पत्तियों में बीमारी परिलक्षित हो रही हो तो इसकी रोकथाम की जानी चाहिये। यदि गर्मियों में पौधों के बीच ट्रेंच खोदकर सूखी पत्तियां मल्च कर

11

दी जावे तो इससे जल संरक्षण होगा जो कि पौधों की वृद्धि के लिये आवश्यक है।
सिचंाई आधारित पौधरोपण
1. भूमि का चयन
समतल भूमि शहतूत/अर्जुन पौधरोपण के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है यदि यह ढालू भी हो तो यह 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये, जिसमें प्रक्षेत्रीय
मेड़ बंधान बनाई जा सके। चूंकि शहतूत गहरी जड़ का बहुवर्षीय पौधा है अतः मिट्टी की गहराई कम से कम 2 से 3 फीट होनी चाहिये। यह मिट्टी निकास युक्त दोमट, बलुई दोमट, लाल मुरूमयुक्त दोमट हो सकती है। मिट्टी का पी.एच. सामान्यतः 6.5 से 7.00 तक उपयुक्त रहता है।
2. पौधरोपण सुरक्षा
श् ाहतूत की पत्तियों को जानवर चाव से खाते है, अतः इनकी सुरक्षा के लिये कटीले तारों की सुरक्षा/फैसिंग की जानी अत्यन्त आवश्यक है।
3. भूमि तैयारी
वर्षा आधारित पौधरोपण के लिये आवश्यक है कि भूमि की तैयारी पूर्ण तकनीक से की जावे ताकि वर्षा का अधिक से अधिक जल संरक्षण किया जा सके। गर्मी प्रारम्भ होने के पूर्व पूरे क्षेत्र में 30 से 35 सेन्टीमीटर गहरी जुताई
की जानी चाहिये तथा उसे ऐसे ही खुला छोड़ देना चाहिये ताकि गर्मियों में मृदाजनित हानि कारक कीटाणु व खरपतवार नष्ट हो जावें। मानसून प्रारम्भ होने पर दोबारा जुताई करनी चाहिये ताकि बड़े बड़े ढेले टूटकर समतल हो जावें। भूमि पर सुविधाजनक प्लाट के लिये मेढ़बन्दी भी कर ली जावे ताकि
वर्षा का जल अधिक से अधिक सुरक्षित रहे। एक एकड़ क्षेत्र में पौधरोपण हेतु 400 घनफीट गोबरखाद/कम्पोस्ट की आवश्यकता होगी।
4. प्रजाति का चयन
सिचंाई आधारित पौधरोपण के लिये एम-5, एस-36 एवं वी-1 प्रजाति अनुशंसित है। पौधरोपण की सफलता के लिये कम से कम 4 माह पुराने पौधे
का पौधरोपण किया जाना चाहिये । स्थानीय आवश्यकता के आधार पर

12

स्वसहायता समूह, शहतूत की रोपणी/नर्सरी भी तैयार कर आजीविका सृजन
कर सकते है, जिसके मानकों हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे है।
ए ेसे स्थान जहां पर पानी की कमी हो वहां ड्रिप सिंचाई लगानी चाहिये।
5. पौधरोपण का तरीका
पौधों के बीच की दूरी 3श्ग3श् अन्तराल पर होना चाहिये। पौधरोपण 1.2श्ग1.2श्ग1.2श्
के गड्ढे खोदकर किया जाना चाहिये। एक एकड़ क्षेत्र में लगभग 4840 गड्ढे खोदे जा सकते है। प्रत्येक गड्ढों में 2 किलोग्राम गोबरखाद/कम्पोस्ट तथा
4 किलोग्राम जमीन की उपरी मिट्टी मिलाकर डालनी चाहिये । यदि मिट्टी
में दीमक की संभावना हो तो लिण्डेन/नीमखली का भी उपयोग किया जा सकता है। पौधरोपण के समय 10ः10ः10 किलोग्राम प्रतिएकड़ की दर से नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटाश की मात्रा देनी चाहिये। गड्ढों के स्थान पर 1.2श्ग1.2श् की नालियां बनाकर तथा उनमें बायोमास भरकर भी पौधरोपण किया
जा सकता है। पौधरोपण हेतु 4 माह पुराने नर्सरी के पौधे उपयोग किये जाने चाहिये।
6. पौधों को आकार देना
चूंकि मलबरी का पौधा 15 से 20 वर्ष तक पत्तियां देता है, अतः उचित प्रबन्धन के लिये पौधों को संतुलित आकार देना अत्यन्त आवश्यक है। पौधरोपण के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर 15 सेमी. की उंचाई पर काट देना चाहिये इसके पश्चात 6 माह बाद जमीन से 25 सेंमी पर पौधों की शाखाओं को इस प्रकार काटा जावे ताकि उनमें 3 से 4 मजबूत शाखाएं लगी रह सकें। सारांशतः यह प्रयास करना होगा कि पौधे का मुख्य तना जमीन से लगभग
30 सेंमी. उंचा तथा मोटा रहे ताकि उसके उपर से निकलने वाली शाखाओं
से अधिकाधिक पत्तियां उपयोग हेतु ली जा सके।
7. पौधों को उचित सिंचाई
पौधरोपण के पश्चात वर्षा समाप्त होने पर सिचंाई प्रारम्भ करनी होगी। रेतीली मिट्टी में सप्ताह में एक बार तथा काली मिट्टी में 8-10 दिन के अन्तराल से

13

सिंचाई की जानी चाहिये। यदि पानी की कमी हो तो ड्रिप सिंचाई लगानी चाहिये।
8. पौधों को खाद की अनिवार्यता
चूंकि मलबरी का पौधा 15 से 20 वर्ष तक पत्तियां देता है एवं रेशम पालन के लिये 4-5 बार पत्तियों की कटाई होती है अतः निर्धारित मानक अनुसार खाद
दी जानी चाहिये। पौधरोपण के समय 400 घन फीट गोबर खाद तथा निंदाई
व गुड़ाई की जावे। यदि पत्तियों में बीमारी परिलक्षित हो रही हो तो इसकी रोकथाम की जानी चाहिये। पौधों के बीच में हरी खाद उगाकर मल्च की जा सकती है ताकि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होवे। मानक अनुसार पौधरोपण के समय तथा बाद में रासायनिक खाद का उपयोग भी किया जावे। समय-समय
पर मिट्टी की जांच करवाकर उसमें कम हो रहे खनिज तत्वों व सूक्ष्म पोषक तत्वों की भरपाई भी की जानी चाहिये।
9. पौधों की उचित देखभाल
पौधरोपण के पश्चात सिंचाई, निराई, खाद देना, इत्यादि समय पर करना चाहिये ताकि अच्छी किस्म की पत्ती उत्पादित हो सके। पौधों के आसपास गुड़ाई तथा वर्ष में कम से कम दो बार गहरी गुड़ाई अवश्य करनी चाहिये ताकि जमीन की उर्वरता बढ़ती रहे।

lyXud& 2

'kgrwr o{kkjksi.k
¼,d ,dM+ ikS/kjksi.k dh bdkbZ ykxr½

o"kkZ vk/kkfjr & mUur iztkfr

Øekad	dk;Z fooj.k	bdkbZ	nj	jkf'k	
				lkexzh	etnwjh
1	rS;kj dyeksa dh dher ¼ikWfyFkhu cSx esa½	1200 sapling	1.5	800	800
2	tehu dh lkQ lQkbZ	10 md	61.37	0	614
3	xgjh tqrkbZ	3 hours	400	1200	0
4	xkscj [kkn@dEiksLV	200 cft	8.00	1600	0
5	jklk;fud [kkn			1500	0
6	nhed iznkd dk fy;s fyUMsu	bg	300	300	0
7	ysvkmV cukuk	5 m.d.	61.37	0	307
8	ikS/kjksi.k gsrq xM<k [kqnkbZ@ukyh [kqnkbZ	75 md	61.37	0	4603
9	xkscj [kkn nsuk rFkk ikS/kjksi.k	30 m.d.	61.37	0	1840
10	igyh fujkbZ rFkk gYdh xqMkbZ	20 m.d.	61.37	0	1227
11	jklk;fud [kkn nsuk	6 md	61.37	0	370
12	nwljh fujkbZ rFkk gYdh xqMkbZ	20 m.d.	61.37	0	1227
13	rhljh fujkbZ rFkk Fkkyk cukuk	20 m.d.	61.37	0	1227
	dqy ;ksx			5400	12215
nwljs o"kZ j[kj[kko					
1	xkscj[kkn	200 cft	8.00	1600	0
2	cSly Mkst jlk;fud [kkn			1500	0
3	fujkbZ] iSfuax rhu ckj	60 m.d.	61.37	0	3682
4	xgjh xqMkbZ	50 md	61.37	0	3069
5	QSyfiV+l Hkjuk	200 sapling		380	120
	dqy ;ksx			3480	6871
rhljs o"kZ j[kj[kko					
1	xkscj[kkn	200 cft	8.00	1600	0
2	cSly Mkst jlk;fud [kkn			1500	0
3	fujkbZ] iSfuax rhu ckj	60 m.d.	61.37	0	3682
4	xgjh xqMkbZ	50 md	61.37	0	3069
	dqy ;ksx			3100	6751
pkSFks o"kZ j[kj[kko					
1	xkscj[kkn	200 cft	8.00	1600	0
2	cSly Mkst jlk;fud [kkn			1500	0
3	fujkbZ] iSfuax rhu ckj	60 m.d.	61.37	0	3682
4	xgjh xqMkbZ	50 md	61.37	0	3069
	dqy ;ksx			3100	6751
	QSfUlax ¼lh-lh-&iksy] ckCMZ okW;j½			30000	5000
				33100	11751

flpkbZ vk/kkfjr & mUur iztkfr

Øekad	dk;Z fooj.k	bdkbZ	nj	jkf'k	
				lkexzh	etnwjh
1	ri;kj dyeksa dh dher	4840sapling	1.0	4840	0
2	tehu dh lkQ lQkbZ	10 md	61.37	0	614
3	xgjh tqrkbZ	3 hours	400	0	1200
4	xkscj [kkn@dEiksLV	400 cft	8.00	3200	0
5	jklk;fud [kkn			2500	0
6	nhed izdksi dks fy;s fyUMsu	bg	300	300	0
7	ysvkmV cukuk	5 m.d.	61.37	0	307
8	ikS/kjksi.k gsrq xM<k [kqnkbZ@ukyh [kqnkbZ	124 md	61.37	0	7614
9	xkscj [kkn nuk rFkk ikS/kjksi.k	40 m.d.	61.37	0	2455
10	igyh fujkbZ rFkk gYdh xqMkbZ	30 m.d.	61.37	0	1841
11	jklk;fud [kkn nuk	6 md	61.37	0	370
12	nwljh fujkbZ rFkk gYdh xqMkbZ	30 m.d.	61.37	0	1841
13	rhljh fujkbZ rFkk Fkkyk cukuk	30 m.d.	61.37	0	1841
	dqy ;ksx			10840	18083
nwljs o"kZ j[kj[kko					
1	xkscj[kkn	400 cft	8.00	3200	0
2	cSly Mksl jlk;fud [kkn			2500	0
3	fujkbZ] iafDr rhu ckj	90 m.d.	61.37	0	5523
4	xgjh xqMkbZ	40 md	61.37	0	2455
5	QsyfiV~l Hkjuk	per sapling	1.50	0	1680
	dqy ;ksx			5700	9658
rhljs o"kZ j[kj[kko					
1	xkscj[kkn	400 cft	8.00	3200	0
2	cSly Mksl jlk;fud [kkn			2500	0
3	fujkbZ] iafDr rhu ckj	90 m.d.	61.37	0	5523
4	xgjh xqMkbZ	40 md	61.37	0	2455
	dqy ;ksx			5700	7978
pkSFks o"kZ j[kj[kko					
1	xkscj[kkn	400 cft	8.00	3200	0
2	cSly Mksl jlk;fud [kkn			2500	0
3	fujkbZ] iafDr rhu ckj	90 m.d.	61.37	0	5523
4	xgjh xqMkbZ	40 md	61.37	0	2455
	dqy ;ksx			5700	7978
	Qsfalx ¼lh-lh- iksy ckdZM ok;j½	,dM+		30000	5000
				35700	12978

16

संलग्नक- 3
श् ाहतूत पौधों की नर्सरी तैयार करने की प्रक्रिया

1. पौधरोपण हेतु शहतूत की कलमें तैयार करना
पौधों की उचित गुणवत्ता हेतु उनकी नर्सरी तैयार करना अत्यन्त आवश्यक
है। हालाकि शहतूत कलमों को टहनी काटकर भी प्रगुणित किया जा सकता
है किन्तु नर्सरी लगाने के निम्न लाभ है -
क. पौधरोपण हेतु कलमें कम लगती है
ख. पौधों का स्थायित्व तेजी से होता है
ग. असफलता की संभावना कम होती है
घ. जड़ों का विकास अच्छा होता है
वर्षा आधारित पौधरोपण के लिये कलमों का विकास पॉलिथीन थैलियों में किया जाता है तथा सिंचाई आधारित कलमों का विकास खुले बेड में करते है। कलमों के व्यावसायिक उत्पादन से स्वयं सहायता समूहों को ग्राम स्तर पर जोड़ा जा सकता है।
नर्सरी तैयार करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है -
स्थल चयन
जमीन की गहराई कम से कम 45 से.मी. होना चाहिये जिसमें पानी का निकास आसानी से हो सके। स्थल पर सिंचाई की सुविधा अनिवार्य है। पौधरोपण सामग्री
कलमें लगाने के शहतूत की टहनियों की मोटाई 1 से 1.5 सेमी. तथा लम्बाई 15 से 20 सें.मी. होना चाहिये जिसमें 3-4 कलिकायें हों। चयन की गई प्रजाति में अन्य प्रजातियों का मिश्रण नहीं होना चाहिये। ली गई टहनी के बीच वाले हिस्से का उपयोग किया जाना चाहिये। काटते समय तेज धार के हथियार से कलमें काटना चाहिये। प्राप्त कलमों को यथा सम्भव एक से दो दिन के अन्दर उपयोग कर लेना चाहिये।

17

नर्सरी लगाने का तरीका
3ग1.2 मीटर के बेड बनाने चाहिये जिसमें लगभग 30 सेंमी की गहराई तक मिट्टी नरम होनी चाहिये। यदि मिट्टी काली है तो उसमें रेत मिलाई जानी चाहिये। नर्सरी का कार्य माह दिसम्बर-जनवरी में लिया जा सकता है। एक ए कड क्षेत्र में नर्सरी तैयार करने के लिये 500 घनफीट गोबरखाद और यदि आवश्यक हो तो 500 घनफीट रेत की व्यवस्था की जानी चाहिये। वर्षा आधारित नर्सरी के लिये पॉलिथिन थैलियों में बायोमास (गोबरखाद $ मिट्टी $ रेत) भरना चाहिये तथा खुले बेड में गोबरखाद तथा रेत मानक अनुसार मिलाई जाना चाहिये। एक एकड़ क्षेत्र में लगभग 1083 बेड बनाये जा सकते है । खुले बेड में कलमें 20ग10 सेन्टीमीटर के अन्तराल पर लगाई जानी चाहिये जो कि एक बेड में लगभग 180 कलमें आएंगी। कलम लगाने के पूर्व उन्हें डायथेन एम 45 के 0.1 प्रतिशत घोल में 30 मिनिट तक तथा बाविस्टिन के 0.2 प्रतिशत घोल में 10 से 15 मिनिट के लिये डूबोकर रखना चाहिये। वी-1 कलमों में अंकुरण प्रतिशत कम रहता है अतः उन्हें नप्थलीन एस्टिक एसिड ग्रोथ हार्मोन की मानक सांद्रता पर भी डूबोना चाहिये।
नर्सरी का संधारण
लगाई गई कलमों में 10 से 12 दिन के बाद अंकुरण प्रारम्भ होता है। जिससे 75 से 80 प्रतिशत कलमों में पत्तियां आना शुरू होती है। अतः सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। एक महिने के बाद तथा दूसरे महिने में दो बार निंदाई की जानी चाहिये। जब पौधों की उंचाई 20 से 25 सें.मी. उंची हो जाए तो दूसरी निंदाई के बाद प्रति बेड 300 ग्राम यूरिया सिंचाई के साथ देना चाहिये। पत्तियों पर परिलक्षित बिमारियों के लिये आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये।

18

कलमों को बेड से उखाड़ना तथा परिवहन
सामान्यतः 4 से 5 माह के अन्तराल में नर्सरी कलमों की उंचाई 3 से 4 फीट हो जाती है और उन्हें परिवहन किया जा सकता है। कलमों को उखाड़ने के पूर्व बेड्स में सिंचाई की जानी चाहिये तथा एक तरफ से गड्ढा खोदकर तथा कलमों को खोलकर सावधानीपूर्वक उन्हें निकालना चाहिये। उखडी हुई कलमों को छाया में भीगे बोरों से ढंक कर रखना चाहिये। तैयार कलमों को बण्डल में बांध कर सुबह अथवा शाम को परिवहन करना चाहिये ताकि उनमें मृत प्रतिशत कम से कम हो।
निम्नतम 60 प्रतिशत जीवित पौधों के आधार पर एक एकड़ से एक चक्र में लगभग 120000 कलमें प्राप्त की जा सकती है।

19

श् ाहतूत नर्सरी विकास की इकाई लागत

क्षेत्र एक एकड़

राशि
क्रमांक कार्य विवरण इकाई दर सामग्री मजदूरी
1ण् क्षेत्र की साफ सफाई 10 उक 61.37 0 614
2 जमीन की गहरी जुताई 4 ीवनते 400 1600 0

3

नर्सरी बेड तैयार करना तथा खाद
मिलाना/पॉलीथिन बेग की कीमत तथा
बायोमास भरना 108 उंद कंल 61.37 0 6628
4 गोबर खाद/कम्पोस्ट 500 बजि 8.00 4000 0
5 आवश्यक रेत की मात्रा 500 बजि 6.00 3000 0
6 आवश्यक रासायनिक खाद 500 0
7 राज्य के अन्दर मलबरी टहनियों/रॉ
मटेरियल की व्यवस्था तथा परिवहन

6 MT 2600 16000 0

8 मलबरी कटिंग तैयारी 65 उण्कण् 61.37 0 3990
9 बेड में कलम लगाना 110 उक 61.37 0 6751
10 दो निराई तथा गुड़ाई 220 उण्कण् 61.37 0 13501
11 रासायनिक खाद डालना 20 उण्कण् 61.37 0 1227
12 सिंचाई 50 उक 61.37 0 3070
13 बिजली/डीजल व्यय 0 0 3000 0
14 मलबरी कलमों को उखाड़ना 110 उण्कण् 61.37 0 6751
Grant Total - Rs 70632/- 28100 42532
फेसिंग एक एकड़ 30000 5000
58100 47532

मलबरी कलमों की मूल्य गणना

1 कुल रोपित कलमें 196000
2 60 प्रतिशत जीवितता के आधार पर संभावित
कलमें

117600

3 नर्सरी विकास पर कुल संभावित व्यय त्े 105632
4 प्राप्त कलमों की इकाई लागत त्े 0.60

20

संलग्नक - 4

रेशम परियोजना की प्रगति

(राशि रू. लाख में)

परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य योजना के कार्यों का विवरण परियोजना के अंतर्गत रिपोर्टिंग माह के अंत तक की

प्रगति

शासकीय/सामुदायिक/पंच

ायत भूमि पर शहतूत का

वृक्षारोपण

निजी भूमि पर चिन्हित लाभार्थियों हेतु

शहतूत का वृक्षारोपण

शासकीय/सामुदायिक/पंच

ायत भूमि पर शहतूत का

वृक्षारोपण

निजी भूमि पर चिन्हित

लाभार्थियो हेतु शहतूत का

वृक्षारोपण

Ø

-

विकासखण्

ड का नाम

रोपित

किये जाने

वाले क्षेत्र

का
क्षेत्रफल

(हेक्टेयर)

रोपि

त

किये

जाने

वाले

पौधों

की

संख्या

वृक्षारोप

ण की

कुल

लागत

चिन्हित

लाभार्थियों

का संख्या

रोपित

किये

जाने

वाले

क्षेत्र

का
क्षेत्रफल

(हेक्टेय

र)

रोपि

त

किये

जाने

वाले

पौधों

की

संख्या

वृक्षारोप

ण की

कुल

लागत

रोपित

किये

जाने

वाले

क्षेत्र का

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर)

रोपित

किये

गये

पौधों

की

संख्या

वृक्षारोप

ण पर

व्यय

राशि

रोपित

किये

जाने

वाले

क्षेत्र का

क्षेत्रफल

(हेक्टेय

र)

रोपि

त

किये

गये

पौधों

की

संख्या

वृक्षारोपण

पर व्यय

राशि

वृक्षारोपण

से संबंद्ध

किये गये

स्वसहायता

समूहों की

संख्या

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

--

--

योग

जिला कार्यक्रम समन्वयक